20/2/23 आज यह पत्रावली प्रापी वादी द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर तलब की गई।
वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
किया है कि उक्त वाद पत्र में दोनों
पक्षकारों का राजीनामा हो गया है अब
कोई विवाद नहीं है। इसलिए पत्रावली
को दिनांक 15/5/23 से तलब कर नोट
दावा को वापस करने की अनुमति देने
की कृपा करें।
पत्रावली पर वादी वकील को
सुना गया। वादी नोट पेश करने हेतु निर्देश
किया है। इसलिए पत्रावली नोट-प्रेस में
स्थापित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार
अनुसार होकर नम्बर से कम हो
बाद शरीं दाखिल दफ्तर हो।